

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आदेश

जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः वर्तमान स्थिति में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-19041/विधि, दिनांक-30.12.2025 के क्रम में मैं, डॉ० त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक-05.01.2026 तक प्रतिबंध लगाता हूँ। वर्ग-5 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।

उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 03.01.2026 से लागू होगा एवं दिनांक 05.01.2026 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक 02.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

& —

(डॉ० त्यागराजन एस.एम.)
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

- ज्ञापांक-64/विधि, पटना, दिनांक-2.1.26
- प्रतिलिपि— वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि— जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
- प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



ज्ञापांक-64/विधि, पटना, दिनांक-2.1.26

- प्रतिलिपि— आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE, PATNA
ORDER

In continuation of the order vide memo no.-19041/Legal dated-30.12.2025 it has been made to appear to me that due to severe prevailing low temperature, health and life of children may get adversely affected.

Therefore, I, Dr. Thiagarajan S.M., District Magistrate, Patna, as per provisions under section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) do hereby prohibit the academic activities of all the Private and Government schools (including Anganwadi Kendra/Pre-Schools) of Patna District up to Class-V till 05.01.2026. Classes from VI onwards may continue with due precautions between 10:30 AM and 03:30 PM. The special classes/examinations being held for pre-board/board exams shall be exempted.

The order as mentioned above will come into force w.e.f. 03.01.2026 and will remain effective till 05.01.2026 in the district.

The school authorities are hereby directed to reschedule their timing of academic activities in conformity of the order as mentioned above.

This order has been issued on 02.01.2026, under my signature and the seal of the court.

SD-
(Dr. Thiagarajan S.M.)
District Magistrate,
Patna.

Memo No.- 64 /Legal, Patna, Dated - 2.1.26
Copy forwarded to SSP, Patna/All SDMs/All BDOs/All SHOs Patna District of information and necessary action.
Copy forwarded to District Education Officer, Patna for information and with a direction to ensure compliance of the aforesaid order.
Copy forwarded to District Public Relation Officer, Patna for information and necessary action.



District Magistrate,
Patna

Memo No.- 64 /Legal, Patna, Dated - 2.1.26
Copy forwarded to Commissioner, Patna for kind information.



District Magistrate,
Patna